न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–21/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कजोड पुत्र ईशरा जाति रैगर निवासी ढाणी कुशालसिंह तन बाढगुजरान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. दिलीप सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत।
2. रामावतार सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत।
3. विजयपाल सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत निवासीयान ढाणी कुशालसिंह तन बाढगुजरान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
4. भंवर कंवर पुत्री सवाई सिंह पत्नि बलवीर सिंह।
5. हस कंवर पुत्री सवाई सिंह पत्नि भोमसिंह राजपूत निवासी देवसर हरियाणा।
6. बिमला कंवर पुत्री सवाई सिंह पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी विजयपुरा जिला जयपुर।
7. बलवीर सिंह पुत्र धीरसिंह जाति राजपूत।
8. बक्सी सिंह पुत्र धीर सिंह जाति राजपूत निवासीयान ढाणी कुशालसिंह तन बाढगुजरान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर अलवर।
10. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पो0

11. सोनी पुत्री रूपला जाति रैगर पत्नी दूलाराम निवासी सतावर तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।
12. गोदी पुत्री रूपला जाति रैगर पत्नी छाजूराम निवासी बावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
13. तीजा पुत्री रूपला जाति रैगर पत्नी रामजीलाल केलापुरा निवासी प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री शिवचरण शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

::: निर्णय :::

दिनांक :–27.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नंबर 132 मिन रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाढ गूजरान के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले से चले आ रहे थे जिनके कब्जे व खातेदारी का अंकन संवत 2012 से 2020 तक की जमाबंदी कागजात माल में है। वादीगण के पिता धीरसिंह की मृत्यु के बाद वादीगण धीर सिंह मृतक के जायज वारिसान की हैसियत से काबिज काश्तकारान खातेदार चले आ रहे थे तथा उपरोक्त आराजी पर आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा है। उक्त विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध किसी किस्म का नही है ना रहा है। हाल बंदोबस्त संवत 2028 में साबिक खसरा नंबर 132 मिन रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाढ गूजरान तहसील थानागाजी से बना है। जिसे बंदोबस्त कर्मचारियों ने रिकार्ड में गैर मुमकिन राडा सिवायचक बिला लगानी सरकार के नाम दर्ज कर दिया। वाद बंदोबस्त उक्त विवादित आराजी के तीन टुकडे कर दिये गये और 308 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी तो ईशरा पुत्र रामू रैगर बाढ गूजरान को जो प्रतिवादी संख्या 3 का पिता है को व 308/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 4 के पति रूपला के नाम बिला दखल दिये वो बिना तितम्बा काटे आवंटन कर दी एवं 308 मिन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन राडा सिवायचक रही जो इन्द्राज वादीगण के हकूकों के मुकाबिले गलत खिलाफ कानून खिलाफ मौका और नाकाबिल पाबन्दी है। ईशरा जिसके नाम 308 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी आवंटन हुई है उसके प्रतिवादी संख्या 3 कजोड व हीरा पुत्र हैं। जिनके नाम उक्त आराजी का इन्तकाल ईशरा के मरने पर हो गया जिनमें से हीरा भी लावल्द फौत हो गया इसलिये अब उक्त आराजी बाबत कजोड को ही प्रतिवादी बनाया गया है। इस प्रकार खसरा नंबर 308/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रतिवादी संख्या 4 गौरा के पति रूपला को आवंटित की गई है। रूपला भी फौत हो चुका है जिसके वारिस गौर प्रतिवादी संख्या 4 है जिसके नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। जिसके बाद वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को वादी का दावा डिक्री किया गया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि विवादित आराजी अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

सदस्य होने के कारण आवंटन की गई है व कब्जा दिया गया है। जिसको वादी/रेस्पो0 ने अपने दावे में स्वीकार भी किया है कि विवादित आराजी मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को अलोट की गई है। अलोटमेंट को रद्द करने का अधिकार जिला कलक्टर को है ना कि अधीनस्थ न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर राज्य सरकार द्वारा आवंटित अलोटमेंट निरस्त किया है जबकि अलोटमेंट को 14(4) की उज्रदारी के तहत केवल जिला कलक्टर ही निरस्त कर सकता है मगर इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया।बंदोबस्त विभाग द्वारा जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने के बाद खाली पडी जमीनों को गैर मुमकिन राडा सिवायचक दर्ज किया गया है जिसके काफी वर्षों बाद मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को अनुसूचित जाति का भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण आवंटित की गई जिस पर वक्त आवंटन से ही अपीलांट के पिता द्वारा काश्त की गई है। और मौके पर आज भी कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को आवंटन गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये जिसके बाद अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 का कब्जा काश्त चले रहने के बाद आराजी को खातेदारी में दर्ज किया गया है। जो खातेदारी ग्राम पंचायत सरकारी नियमों के अनुसार दर्ज हुई है। आवंटन खातेदारी होने के करीब 30 साल बाद वादी रेस्पो0 द्वारा दावा किया गया है जिससे भी साफ जाहिर व साबित है कि विवादित आराजी अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने से पूर्व आस पास की सभी जमीनें राजपूतों के नाम थी, जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट लागू होने के बाद जिस जमीन पर कोई काश्त नही थी खाली पडी थी उन जमीनों को गैर मुमकिन राडा सिवायचक दर्ज किया गया है। एस. सी/एस.टी की आराजीयात को बाईवे आफ डिक्री भी नोन एस.सी/एस.टी व्यक्ति के नाम दर्ज नही किया जा सकता। भू प्रबंध अधिकारी के इन्द्राज को निरस्त करने का अधिकार भी अधीनस्थ न्यायालय को नही है।अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 अनुसूचित जाति का सदस्य है। काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में वे कानूनी तरीके से काबिज काश्तकार खातेदार हैं। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की उक्त आराजी पर कब्जा काश्त होने के बाद आई एल आर थानागाजी द्वारा दिनांक 21.11.1997 को आराजी का तितम्बा काटा गया है जो रिपोर्ट दिनांक 21.11.97 पत्रावली में मौजूद है जिससे यह साफ जाहिर व साबित है कि आराजी पर कब्जा अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 का मौके पर चला आ रहा है। स्वयं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ने मौके व कब्जे की रिपोर्ट मंगवा कर यह साबित होने पर कि विवादित आराजी पर अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 का कब्जा है उसके बाद ही लिखित में अपना जबाव पेश कर लिखा है कि विवादित आराजी पर वादी रेस्पो0 का कभी कब्जा नही रहा और मौके पर मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 काबिज हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2017 अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नंबर 132 मिन रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाढ गूजरान के खातेदार काश्तकार वादीगण रेस्पो0 के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पहले से चले आ रहे थे जिनके कब्जे व खातेदारी का अंकन संवत 2012 से 2020 तक की जमाबंदी कागजात माल में है। वादीगण रेस्पो0 के पिता धीरसिंह की मृत्यु के बाद वादीगण धीर सिंह मृतक के जायज वारिसान की हैसियत से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

काबिज काश्तकारान खातेदार चले आ रहे थे तथा उपरोक्त आराजी पर आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा है। उक्त विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई संबंध किसी किस्म का नही है ना रहा है। हाल बंदोबस्त संवत 2028 में साबिक खसरा नंबर 132 मिन रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 308 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाढ गूजरान तहसील थानागाजी से बना है। जिसे बंदोबस्त कर्मचारियों ने रिकार्ड में गैर मुमकिन राडा सिवायचक बिला लगानी सरकार के नाम दर्ज कर दिया। वाद बंदोबस्त उक्त विवादित आराजी के तीन टुकडे कर दिये गये और 308 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी तो ईशरा पुत्र रामू रैगर बाढ गूजरान को जो अपीलांट का पिता है को व 308/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को रूपला के नाम बिला दखल दिये वो बिना तितम्बा काटे आवंटन कर दी एवं 308 मिन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा गैर मुमकिन राडा सिवायचक रही जो इन्द्राज रेस्पो0 के हकूकों के मुकाबिले गलत खिलाफ कानून खिलाफ मौका और नाकाबिल पाबन्दी है। ईशरा जिसके नाम 308 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी आवंटन हुई है उसके अपीलांट कजोड व हीरा पुत्र हैं। जिनके नाम उक्त आराजी का इन्तकाल ईशरा के मरने पर हो गया जिनमें से हीरा भी लावल्द फौत हो गया। इस प्रकार खसरा नंबर 308/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा आराजी गौरा के पति रूपला को आवंटित की गई है। रूपला भी फौत हो चुका है जिसके वारिस के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उन्होंने अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये।

1990 RRD 17, 1983 RRD 64,

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा पेश कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू नही होती हैं क्यों कि जमाबंदी संवत 2012–15 में रेस्पो0 के पूर्वज गैरमौरूसी थे। इसके अलावा न तो वे जागीरदार थे न बिस्वेदार न उपजागीरदार न मालगुजार थे, जिससे उसको जमींदारी/बिस्वेदारी अधिग्रहण कानून का लाभ मिल सकता है। अवैध राजस्व प्रविष्टि/बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से कोई अधिकार उत्पन्न नही होते हैं।

किसी भी खातेदारी अधिकारों की वैद्यता का निर्धारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ के समय से होता है। जमाबंदी संवत 2012–15 बाढगुजरान तहसील थानागाजी में कॉलम संख्या 2 मे खसरा नंबर 48, कॉलम संख्या 3 रिक्त, कॉलम संख्या 4 "भूमि अधिकारी जागीरदार, उपजागीरदार,मालगुजार,बिस्वेदार, आराजीदार" में कॉलम **रिक्त** है। तथा कॉलम संख्या 5 में धीरसिंह पुत्र सन्तुसिंह ठाकुर सा.देह **गैर मौरूसी** अंकित है।

जमाबंदी संवत 2016 में जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में धीरसिंह पुत्र सन्तुसिंह ठाकुर सा.देह खातेदार अंकित है। यहां जमाबंदी संवत 2012 विचारणीय है जिसमें जमाबंदी के कॉलम संख्या 05 में गैरमौरूसी अंकित है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि गैर मौरूसी को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही होते हैं उसको केवल भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दी जाती है। जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में धीरसिंह/सन्तुसिंह न तो जागीरदार, न बिस्वेदार, न उपजागीरदार, न मालगुजार है जिससे यह धारणा की जावे कि

राजस्व अपील प्राधिकारी

जागीरदार/बिस्वेदार उन्मूलन अधिनियम में खुदकाश्त खातेदार/अन्य प्रकार से खातेदार माना जावे।

राजस्व कर्मियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय निर्णय/आदेश के जमाबंदी संवत 2016 में इसको खातेदार अंकित कर दिया। जो कि अवैध रूप से प्रविष्टि दर्ज की गई है। जिससे खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही अपीलांट को भूमि आवंटन की गई है जो कि एक सक्षम अधिकारी है। उनके द्वारा किया गया आवंटन भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत है। तत्पश्चात कोई भी राजस्व अधिकारी/कार्मिक उसको परिवर्तित/निरस्त नही कर सकता है। अतः जो रिकार्ड प्रविष्टि संवत 2016 से अवैध रूप से दर्ज चली आ रही है उसको किसी भी रूप में जायज नही ठहराया जा सकता है।

दूसरा तथ्य यह भी कि जब सक्षम अधिकारी राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन करता है तो विधिवत उसकी एक प्रक्रिया निश्चित होती है जिसमें आक्षेप आमंत्रण भी किया जाना मुख्य बिंदु है। अपीलांट को मुताबिक रिकार्ड मजमा–ए–आम में आवंटन उपखण्ड अधिकारी राजगढ, अलवर मु. थानागाजी द्वारा 30.10.77 को किया गया था। अब अप्रत्यक्ष रूप से उस कार्यवाही को उनके वंशजों द्वारा चुनौती दी जा रही है जो कि विबंधित सिद्धान्त से बाधित है।

अपीलांट को जमाबंदी संवत 2051 से 2054 में गैरखातेदारी अधिकार एवं तत्पश्चात इंतकाल संख्या 177, 201 से खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। इस प्रकार गैर खातेदार द्वारा आवंटन नियमों की पालना करने से खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान हैं। इस प्रकार कब्जा भी आवंटन के समय से ही अपीलांट का चला आ रहा है।

इस प्रकार एक बार जब आवंटन के समय रेस्पो0/उनके पूर्वजों द्वारा, जमाबंदी संवत 2012–15 एवं 2016 के मिलान से स्पष्ट है, आवंटन पर आक्षेप नही किये गये हैं तो उनके उत्तराधिकारी अब आवंटन पर आक्षेप/चुनौती देने का अधिकार नही रखते हैं। गैरमौरूसी को खातेदारी राजस्वकर्मियों द्वारा जो अविधिक रूप से बिना सक्षम आदेश से की गई है उसके आधार पर भी रेस्पो0 का कोई हक नही बनता है।

अधीनस्थ अदालत द्वारा जमाबंदी संवत 2012–15 व 2016 का मिलान किये बिना जो आदेश दिनांक 06.10.2017 को जारी किये हैं वे विधिविरूद्ध, अवैधानिक एवं रिकार्ड का गहन अध्यन किये बिना ही पारित किये हैं। इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर काबिल स्वीकार के है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.10.2017 निरस्त की जाती है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.12.2019

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर